2

प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में गुणात्मकता
समस्या एवं सुझाव

अग्निवेश गुप्ता*

"शिक्षा की गुणात्मक उन्नति आवश्यक है, परंतु उस पर बल तभी दिया जाना चाहिए जब निरक्षरता का अंत हो जाए।"

— गोपाल कृष्ण गोखले

सार संक्षेप

प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं गुणवत्ता में व्याप्त समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। इस शोध पत्र में भिन्न-भिन्न समयांतरालों में गठित विभिन्न समितियों एवं आयोगों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं प्रचार-प्रसार के साथ-साथ विभिन्न सरकारी पंचवर्षीय योजनाओं के योगदान पर भी प्रकाश डाला गया है। यदि प्राथमिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ इसे गुणात्मक भी बनाया जाए, तो हमारे बच्चे अधिक कुशल एवं योग्य नागरिक बन सकेंगे, जो राष्ट्रीय विकास एवं वृद्धि के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है।

प्राचीन काल से ही हमारे भारतीय समाज में अध्यापक को भविष्य-निर्माता कहा जाता है क्योंकि अध्यापक आज जिन बच्चों को शिक्षा देंगे, वही बच्चे कल राष्ट्र के भावी नागरिक होंगे और राष्ट्र की उन्नति में विशेष योगदान देंगे। समाज में शिक्षक के योगदान की व्याख्या करते हुए पूर्व राष्ट्रपति एवं शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है कि *"समाज में अध्यापक का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की बौद्धिक परंपराएँ तथा तकनीकी कौशल पहुँचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायक होता है।"* किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी आने वाली अगली पीढ़ी पर निर्भर होता है और उसका स्वरूप क्या होगा? इसकी ज़िम्मेदारी अध्यापकों की होती है। चूँकि, प्राथमिक स्तर की शिक्षा अन्य सभी स्तरों की शिक्षा की एक आधारशिला मानी जाती है। यह आधारशीला जितनी

**विभागाध्यक्ष*, शिक्षा विभाग, एच. आई. एम. टी., ग्रेटर नोएडा

अधिक मज़बूत होगी, आगे की शिक्षा भी उतनी अधिक मज़बूत और सफ़ल होगी।

प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा का अर्थ होता है, प्रारंभिक शिक्षा एवं मुख्य शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा इसलिए कि यह बच्चों को प्रारंभ में दी जाती है और मुख्य शिक्षा इसलिए कि यह आगे की शिक्षा की नींव होती है। इसके द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया की प्रथम आवश्यकता, जो संप्रेषण के माध्यम से भाषा की शिक्षा दी जाती है, और उन्हें सामाजिक जीवन जीने की प्राथमिक क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाता है। परंतु प्राथमिक शिक्षा बच्चों को किस आयु से किस आयु तक दी जाए अथवा किस कक्षा से किस कक्षा तक दी जाए और इसकी क्या पाठ्यचर्या हो, इस विषय में भी भिन्न-भिन्न देशों के अलग-अलग मत हैं और इससे प्राथमिक शिक्षा की समयाविधि के विषय में भ्रम पैदा हो जाता है। वैसे कोई भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए क्योंकि भारतीय संविधान के निर्देश में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति — 1986* के अनुसार पाठ्यचर्या को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक शिक्षा, कक्षा 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा, कक्षा 9 से 10 तक माध्यमिक शिक्षा एवं कक्षा 11 से 12 तक उच्च माध्यमिक शिक्षा। अतः अब यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय हमारे देश में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा 'प्राथमिक शिक्षा' के अंतर्गत आती है। आज पूरे देश के लिए प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक आधारभूत पाठ्यचर्या निश्चित की गई है।

शिक्षा में गुणात्मकता

शिक्षा की गुणात्मकता से आशय है, देश की बहुसंख्यक ग्रामीण जनता के भीतर अज्ञान व रूढ़ियों के विरुद्ध भी समझ पैदा करना। इसकी दक्षता वृद्धि हेतु समय-समय पर शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के साथ-साथ मौलिक विचारों को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इन सबके लिए क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर जिला व ब्लॉक स्तर पर योजनाएँ बनाई जा सकती हैं, जहाँ से ग्रामीण तथा शहरी मजदूर वर्ग सीधे तौर पर जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार के नीति नियोजन व क्रियान्वयन में शिक्षक ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर शिक्षा के महत्त्व की बात करें, तो शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। अतः किसी भी मानव समाज में इसका बड़ा महत्त्व है और इसकी बड़ी आवश्यकता भी है। आज प्रायः सभी समाजों में शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और विशिष्ट वर्गों में विभाजित किया गया है, और इनमें प्रत्येक वर्ग की शिक्षा का अपना महत्त्व है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा मुख्य रूप से है।

प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा प्राथमिक शिक्षकों को उत्तम शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ही *राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)* के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संपूर्ण देश में राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले में एक 'जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान' की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख

Chapters- PS-April 2016.indd 11 27-07-2017 PM 12:51:56

उद्देश्य है — प्राथमिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में विभिन्न कार्यनीतियों एवं कार्यक्रमों की सफ़लता हेतु जनपद स्तर पर विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं प्रौढ़ निरक्षरों की साक्षरता के संदर्भ में अकादमिक सहयोग एवं संसाधनों को उपलब्ध कराना। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, प्राथमिक शिक्षा को अगर देखा जाए तो इसमें कुछ असंतुलन पाया जा रहा है। मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सरकार को नए विद्यालय खोलने के स्थान पर पहले पुराने विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने की ओर ध्यान देना चाहिए।

अगर राज्य विशेष की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार का मानदंड है, कि कक्षा एक से कक्षा 5 तक विद्यालयों में न्यूनतम दो शिक्षक तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों में न्यूनतम 4 शिक्षक होने चाहिए। दूसरे, सरकार के किसी विभाग का कोई भी अभियान हो, आर्थिक गणना या फिर किसी भी स्तर का निर्वाचन हो, प्राथमिक शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित है, जिसमें अध्यापक पर्याप्त नहीं रहते, और रही-सही कसर भी पूरी हो जाती है। इस संबंध में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु शिक्षक संघ भी शिक्षकों से सिर्फ़ शिक्षण कार्य कराने की माँग सरकार से करते रहते हैं। तीसरे, अगर प्राथमिक शिक्षा के विकास की तालिका देखें तो स्पष्ट होता है, कि 1960-61 के बाद प्राथमिक शिक्षा के विकास में काफ़ी तेज़ी आई है और उसमें लगभग 3 करोड़ बच्चे प्रति दशक बढ़ते गए हैं और वर्तमान में भी इसी गति से बढ़ रहे हैं। परंतु चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 2004–05 में भी 6 से 14 आयु वर्ग के लगभग 5 करोड़ बच्चे प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं से बाहर थे। इसमें लगभग 3 करोड़ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा बीच में ही छोड़ दी थी और लगभग 2 करोड़ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने प्राथमिक स्कूलों में नामांकन ही नहीं कराया था। चौथा, प्राथमिक शिक्षा में एक चिंता का विषय यह भी है, कि अनेक उपाय करने के बाद 2010 में भी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अपव्यय लगभग 45 फ़ीसदी और अवरोधन लगभग 25 फ़ीसदी रहा है। 2010 तक लगभग 20 फ़ीसदी प्राथमिक एवं 35 फ़ीसदी उच्च प्राथमिक स्कूलों को ब्लैकबोर्ड योजना का लाभ नहीं पहुँच पाया है और जिन्हें इसका लाभ पहुँचाया गया है वह भी टिकाऊ नहीं है।

अगर हम प्राथमिक शिक्षा के व्यवहारिक पहलू पर ज़ोर दें तो, जहाँ एक ओर तो हम नैतिकता व समानता की बातें करते हैं, वहीं दूसरी ओर दलित उत्थान के नाम पर विशेष छात्रवृत्ति के रूप में कुछ रुपये देकर नन्हे बच्चों के कोमल मन में यह बात बिठा दी जाती है, कि कौन दलित है और कौन सवर्ण है। ऐसे में छात्रों को समानता का पाठ पढ़ाने से क्या कोई सार्थक परिणाम निकल सकते हैं? ऐसी परिस्थितियों के बारे में जहाँ जाति के आधार पर यह तय किया जाये कि किसको सुविधा मिले और किसको नहीं। शायद, शिक्षकों का कोई भी उपदेश ऐसे में मरहम का कार्य नहीं कर सकता। प्राथमिक शिक्षा में एक समस्या यह भी है कि इसमें समन्वय का अभाव है। गुणवत्तापरक शिक्षा के बारे में शिक्षाविद्ों द्वारा जो भी शिक्षा नीति बनाई जाती है अथवा जो भी परियोजना लागू की जाती है, उसमें भारतीय विविधता का पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रखा जाता है। इस प्रकार यह आवश्यक

Chapters- PS-April 2016.indd 12 27-07-2017 PM 12:51:56

नहीं है कि दिल्ली राज्य में सफ़ल होने वाला कार्यक्रम राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में भी सफ़ल हो सके।

भारत में प्राथमिक शिक्षा की समस्याएँ एवं उनके समाधान

प्राथमिक शिक्षा के बारे में बहुत अधिक समस्याएँ ऐसी हैं कि जिनका समाधान हुए बिना प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं सफ़लता के बारे में सोचना लगभग अनुचित लगता है। जिनमें से कुछ समस्याओं के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं —

प्रशासन, वित्त एवं नियंत्रण की समस्या — प्राथमिक शिक्षा में प्रशासन एवं वित्त के संबंध में बहुत से कारण हैं, जैसे — पहला कारण यह है कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना प्रांतीय सरकार का उत्तरदायित्व है। केंद्रीय सरकार शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति तो अवश्य बनाती है, परंतु उसके अनुपालन के लिए प्रांतीय सरकारों को बाध्य नहीं कर सकती है। परिणाम यह है कि भिन्न-भिन्न प्रांतों में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था भिन्न-भिन्न प्रकार से हो रही है। फिर केंद्रीय सरकार की शिक्षा नीति भी इतनी लचर होती है कि प्रांतीय सरकारें उसका अर्थ अपने-अपने तरीकों से निकालती हैं। दूसरा कारण यह है कि किसी भी राज्य में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ा कार्य है, जिसे उनकी सरकारें अपने सीमित संसाधनों से पूरा नहीं कर सकतीं। केंद्रीय सरकार अपेक्षाकृत कम आर्थिक सहायता देती है और इस क्षेत्र में जनसहयोग लेना राज्य सरकारों की विवशता है और यदि इन पर कठोर नियंत्रण किया जाए तो जन सहयोग मिलना कठिन होगा।

सुझाव — केंद्र और प्रांतीय सरकारें मिलकर शिक्षा नीति बनाएँ और उस नीति का अनुपालन करना केंद्रीय और सभी प्रांतीय सरकारों के लिए अनिवार्य हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतनी सुस्पष्ट होनी चाहिए कि प्रांतीय सरकारें उसका एक ही अर्थ निकालें। यह बात सही है कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले इस देश में प्राथमिक शिक्षा सर्वसुलभ कराना अकेले सरकार के बूते की बात नहीं है। उसके लिए जन सहयोग आवश्यक है परंतु जन सहयोग का अर्थ यह तो नहीं कि वे शिक्षा नीतियों का पालन न करें। जन सहयोग तो तभी माना जाना चाहिए जब सरकारी नीतियों का पालन करते हुए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करें और प्रांतीय सरकारों को भी इस पर निगरानी रखनी चाहिए।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की समस्या — प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है, कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को एक निश्चित दूरी के अंदर एक स्कूल उपलब्ध कराना। बड़े नगरों में स्वैच्छिक प्रयासों एवं व्यक्तिगत प्रयासों से प्राथमिक स्कूल का जाल-सा बिछ गया है, परंतु अनुसूचित जाति की बस्तियों में प्रायः जो सरकारी प्राथमिक स्कूल दिखाई देते हैं, उनकी भी अच्छी स्थिति नहीं होती है।

कारण — पहला, अनुसूचित जातियों की बस्तियाँ प्रायः छोटी एवं मलिन होती हैं, अनुसूचित जनजातियों की बस्तियाँ प्रायः दूर-दराज के इलाकों में एक-दूसरे से काफ़ी दूर बसी होती हैं। दूसरा, कुछ अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के क्षेत्रों के

Chapters- PS-April 2016.indd 13 27-07-2017 PM 12:51:56

विद्यालयों में शिक्षक-शिक्षिकाएँ भी जाना पसंद नहीं करते। शिक्षकों के अभाव में छात्र-छात्राएँ भी विद्यालय आना छोड़ देते हैं और कालांतर में ये विद्यालय भी बंद हो जाते हैं।

सुझाव — इस समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित सार्थक उपाय ज़रूरी हैं — सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना में और अधिक तेज़ी से काम करना चाहिए। ऐसे विद्यालयों में शिक्षक/शिक्षिकाओं को नियुक्ति के लिए ठोस प्रयास किए जाएँ, कैडरवाइज़ चयन इस दिशा में सबसे अधिक कारगर हो सकता है।

विकलांग एवं मंदबुद्धि बालकों के लिए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की समस्या — यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार संसार के कुल विकलांग और मंदबुद्धि बालकों की संख्या का एक-चौथाई भाग भारतीय बच्चों का है। इस समय हमारे देश में लगभग एक करोड़ बच्चे या तो शारीरिक दृष्टि से विकलांग हैं, या फिर मानसिक दृष्टि से मंदबुद्धि वाले हैं। जब तक हम इनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं करते, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का वादा नहीं कर सकते।

कारण — गर्भ के समय गर्भस्थ शिशु के उचित पोषण का अभाव। यह प्रायः अज्ञानता और अर्थाभाव के कारण होता है। दूसरा, विकलांगों के स्कूलों के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी।

सुझाव — बच्चे विकलांग न हों, इसके लिए गर्भ में उनका उचित पोषण किया जाए, इसके लिए माताओं को प्रशिक्षित करने के कार्य में तेज़ी लाई जाए। दूसरे, इन विद्यालयों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और इनके विशेष प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं का विस्तार किया जाए।

पाठ्यक्रम की एकरूपता एवं बस्ते के बोझ की समस्या — कुछ विद्यालयों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा तैयार की गई पाठ्यचर्या और उसी के द्वारा तैयार की गई पाठ्यपुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, तो कुछ विद्यालयों में प्रांतीय सरकारों द्वारा तैयार की गई पाठ्यपुस्तकें पढ़ाई जाती हैं तो कुछ विद्यालयों में अपने-अपने प्रकार की पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। लोकतंत्र की माँग है कि किसी भी स्तर की शिक्षा की पाठ्यचर्या में मूलभूत समानता होनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में भी।

कारण — प्राथमिक शिक्षा प्रांतीय सरकारों का विषय है और वे अपने क्षेत्र की परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए स्वत्रंत हैं। इसके अलावा, कुछ शैक्षिक संगठनों (जैसे — विद्या भारती) की तो अपनी पाठ्यचर्या और पुस्तकें भी हैं।

सुझाव — सर्वप्रथम तो प्रांतीय सरकारों को केंद्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन करने के लिए बाध्य किया जाए और उन्हें उसी स्थिति में अर्थिक सहायता दी जाए। सभी प्रांतों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा प्रस्तावित आधारभूत पाठ्यचर्या लागू की जाए। यह तभी संभव है जब उसमें आवश्यक संशोधन किया जाए, ताकि प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में एकरूपता लाना संभव हो सके।

Chapters- PS-April 2016.indd 14 27-07-2017 PM 12:51:57

प्राथमिक विद्यालयों की दयनीय स्थिति की समस्या — यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के जो भवन बनाए गए हैं वह भी अच्छी गुणवत्ता के नहीं हैं और जो फ़र्नीचर उपलब्ध कराया जा रहा है, वह विद्यालय तक पहुँचते-पहुँचते टूट रहा है। जो शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, वह भी बहुत घटिया किस्म की है। तब से प्राथमिक विद्यालयों में कोई विशेष सुधार नहीं हो रहा है और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को इस कार्य के लिए जो धनराशि दी जा रही है उसका सदुपयोग भी सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

कारण — केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारें शिक्षा पर आवश्यकता से बहुत कम व्यय करती हैं। दूसरे, सरकार के पास संसाधनों की भी कमी है। तीसरा कारण है कि प्राथमिक शिक्षा के बजट का अधिकांश भाग शिक्षकों के वेतन भुगतान आदि पर व्यय होना।

सुझाव — केंद्रीय सरकार को अपने बजट में शिक्षा के लिए छह फ़ीसदी की व्यवस्था तो तत्काल करनी चाहिए और निकट भविष्य में इसे बढ़ाकर दस फ़ीसदी किया जाना चाहिए। प्रांतीय सरकारें भी अपने शिक्षा बजट में निरंतर बढ़ोतरी करें और प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ उनके उन्नयन पर विशेष ध्यान दें तथा साथ ही प्राथमिक विद्यालयों की दशा सुधारने को भी प्राथमिकता दें।

भारत में शैक्षिक सुधार हेतु गठित प्रमुख आयोग/समितियाँ

केंद्र सरकार ने आज़ादी के बाद प्राथमिक शिक्षा के लिए निम्न आयोग एवं समितियाँ गठित कीं —

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद् (1957) — प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा विस्तार हेतु परामर्श देना तथा समन्वय स्थापित करना।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (1961) — प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक तथा संगठनात्मक सुधार लाना।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-66) — शिक्षा के सभी स्तरों पर गुणात्मक सुधार के लिए सरकार को परामर्श देना तथा राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के लिए आधारभूत ढाँचा तैयार कराना।

विद्यालय शिक्षा के लिए केंद्रीय प्रावधान — भारतीय संविधान के 42वें संशोधन (1976) के बाद से शिक्षा, संघ और राज्य सरकारों का समवर्ती दायित्व है। केंद्र स्तर पर शिक्षा के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय मुख्य अभिकरण है। पहले शिक्षा मंत्रालय से नामित इस मंत्रालय को वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास के अंतर्गत किए जाने वाले विविध कार्यों के मद्देनज़र मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम दिया गया। केंद्र स्तर पर मानव संसाधन मंत्रालय का 'शिक्षा विभाग' शिक्षा संबंधी सभी मामलों के लिए उत्तरदायी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) — प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करना तथा उसके सार्वजनीकरण के प्रयास एवं बदलती परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा का ढाँचा तैयार करना।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्य योजना (1986) — प्रत्येक जिले में प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर विचार करना तथा प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

Chapters- PS-April 2016.indd 15 27-07-2017 PM 12:51:57

ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड (1987) — इसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों को ऐसे ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किट दिए गए, जिनमें विज्ञान विषयों और कार्यानुभव संबंधी जानकारी देने वाले उपकरण तैयार किये गए।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1994) — बुनियादी शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाना तथा उसके सार्वभौमीकरण का प्रयास करना।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (1995) — प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के स्तरों का निर्धारण व अनुरक्षण, अध्यापक शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा अध्यापक शिक्षा संबंधी विषयों पर राज्य, केंद्र सरकार एव अन्य संस्थाओं को सलाह देना।

राष्ट्रीय आहार सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना) (1995) — प्राथमिक विद्यालयों में अधिकाधिक बच्चों का दाखिला, उनकी स्थिति में सुधार तथा उन्हें स्कूल आने के लिए प्रेरित करना।

सर्वशिक्षा अभियान (2001) — 6 से 14 आयु वर्ग के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा।

86वाँ संविधान संशोधन (2002) — 6 से 14 आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था तथा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा (2005) — निजी विद्यालयों में गरीब बच्चों को 25 फ़ीसदी स्थान आरक्षित कर उन्हें उच्च स्तरीय निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराना।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2006) — देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु सहयोग न करने वाले अभिभावकों तथा विद्यालयों के प्रति दंड का प्रावधान।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) — देश के सभी नौनिहालों विशेषकर कमज़ोर तबकों के बच्चों को आठवीं तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करवाना।

निष्कर्ष

उपरोक्त समस्याओं के समाधान के लिए यह आवश्यक है, कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम को सख्ती के साथ लागू किया जाए। सरकार अपने शिक्षा बजट में वृद्धि करे और देखे कि हर स्तर पर पैसे का सही प्रयोग हो। जन सहयोग को प्रोत्साहित किया जाए और उस पर सरकार का नियंत्रण हो, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े सभी व्यक्तियों, विशेषकर शिक्षकों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए। यदि सभी लोग ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करें तो कम साधनों से भी अधिक उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। सरकार की तरफ़ से शिक्षा में सुधार के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जिस प्रयास की वास्तव में भारतीय शिक्षा को आवश्यकता है, वह नहीं हो पा रहा है। प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मकता एवं सुधार लाने के लिए अधिक से अधिक जनसंख्या को उनके "शिक्षा संबंधी अधिकार" के बारे में जागरूक करना होगा एवं उनकी सहभागिता शिक्षा संबंधी जागरूकता

Chapters- PS-April 2016.indd 16 27-07-2017 PM 12:51:57

अभियान में सुनिश्चित करनी होगी, तभी हमारे भावी राष्ट्र के नागरिकों को गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा मिल सकेगी और वास्तव में शिक्षा के उद्देश्य भी तभी प्राप्त हो सकेंगे।

संदर्भ

एन.सी.ई.आर.टी. 2005. *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा*. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

एन.सी.टी.ई. 2009. *नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन* (एन.सी.टी.ई. — डाफ़्ट फॉर डिस्कशन). एन.सी.टी.ई., नयी दिल्ली.

एम.एच.आर.डी. 2011. *वार्षिक रिपोर्ट*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

गुप्ता, ए. 2014. *डेवलपमेंट ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन इन इंडिया — ईसूज एंड चैलेंजिज़, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी एंड पर्सपेक्टिव*. ए.पी.एच. पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, नयी दिल्ली.

———. 2003. सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन. *इंडियन रिसर्च रिव्यू*, पृ. 33-39 , वॉल्यूम-5, संख्या-1.

तिवारी, एन. 2000. *प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की समस्या एवं समाधान*. अवध-अर्चना प्रकाशन, फैजाबाद.

मेहता, ए. सी. 2003. *भारतीय प्रारंभिक शिक्षा की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट*. न्यूपा, नयी दिल्ली.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986. मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.), भारत सरकार, नयी दिल्ली.

राव, वी. के. 2007. *प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण*. इंडियन पब्लिकेशंस, नयी दिल्ली.

शर्मा, आर., के. 2015. *प्रारंभिक शिक्षा की समस्याएँ*. राधा प्रकाशन मंदिर, आगरा.

श्रीवास्तव, एम. एन. 2015. *प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास*. अग्रवाल प्रकाशन, आगरा.

Chapters- PS-April 2016.indd 17 27-07-2017 PM 12:51:57